SHEIK ANSAR

Q- अभी आप मुक्ति मोर्चा में क्या पद सभांल रहे है आप वीर गांव उरला साईड के काम को देखते है ।

Ans- जी

Q- आप मुक्ति मोर्चा से कितने साल से जुडे है अदाजन कब से जुडें है

Ans- १६ साल से

Q- कैसे पता चला मुक्ति मोर्चा से कैसे जुडें

Ans- मै जहा पैदा हुआ था मोतीपरुर राजनॉद गोव में वहॉ पर बीएनसी मिल है । तो बीएनसी मिल के मजदूर उस समय भागीदारी योजना आई थी तो भागीदारी योजना के विरोध में आन्दोलन किय तो उस आन्दोलन के कारण मुक्ति मोर्चा में जुडा था ।

Q- तो यह बीएनसी मील क्या काम करते थे वहॉ पर क्या बनता था

Ans- वह सूती वस्त्र उधोग है ।

Q- आप वहॉ पर काम नही करते थे

Ans- जी नही

Q- तो आप उनके आन्दोलन देखकर उनके साथ जुडें ।

Ans- जी हॉ

Q- यह कौन से साल की बात है ।

Ans- नही इससे पहले मै भी चूकि एक छोटी फैक्टी छटनी शुदा मजदूर था ।

Q- पहले कही काम किया था और वहॉ पर क्या हुआ था

Ans- हाँ किया था वहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रैक किया था तो उसमें हम निकाल दियें गये थे ।

Q- किस बात को लेकर स्ट्रैक किया था

Ans- वेतन बढोतरी के लिए

Q- तो यह किस साल की बात है

Ans- यह फरवरी १९८३ की बात है फरवरी १९८३ की नही १९८४ की बात है ।

Q- यह बी.एन.सी मिल वाली बात है ।

Ans- यह मई १८, १९८४ को एक बडा आन्दोल हुआ था

Q- उस आन्दोलन मे क्या हुआ था

Ans- भागीदारी योजना जो सरकार लागू करना चाहती थी वह रूक गया था

Q- फिर उसके बाद मुक्ति मोर्चा में आप कैसे जुडें रहे आगें क्या कार्यक्रम रहा ।

Ans- फिर नियोगी जी ने यूनियन का गठन किया और यूनियन की जो रोज की कार्यवाही होती थी उससे मे बहुत प्रभावित हुआ और मुझें लगा कि इसमें जुडना चाहिए ।

Q- ऐसा क्या था जो प्रभावित कर रहा था

Ans- मीटिंग रकते थे जूलूस और जूलूस मीटिंग में जो बात आती थी पर्चा पढने को मिलता था उससे मै प्रभावित हुआ था

Q- उससे पहले किसी यूनियन में शामिल हुये थे ।

Ans- नही

Q- फिर उसमें आप जुडें रहे ।

Ans- नही उसी समय शुरूआत में ही मेरे को एक जिम्मेदारी भी दे दिया गया नियोगी जी की तरफ से कि जितने भी पेपर्स आते है उसको जरूरत वाली चीत काट कर अलग रखों ।

Q- यह सब राजनॉद गांव में

Ans- हॉ फिर मै एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में लोगो को लगता था और पूरे समय पूरे आन्दोलन में बी.एन.सी मिल का आन्दोलन भी चला उस पूरे समय था और जब १२ सितम्बर को फायरिंग हुई तो ११ सितम्बर को मै

Q- १२ सितम्बर को कहॉ फायरिंग हुई

Ans- राजनॉद गांव में १९८४ में जो गोली चली थी मजदूर आन्दोलन पर बी.एन.सी मील के वर्कर्करों पर तो उसमें मै सबसे पहले अरेस्ट कर लिया गया ।

Q- यह फायरिंग क्यो हुई थी

Ans- काम की दशा को लेकर और बी.एन.सी मील के वेतन बढोत्तरी को लेकर ओर वहॉ के श्रम कानून के पालन के लिए यह लोग मॉग कर रहे थे मई महीने से तो १२ सितम्बर १९८४ को यहॉ पर राजीव गांधी आ रहे थे उस समय वह कॉग्रेस के महामन्त्री हुआ करते थे वह भिलाई में आ रहे थे तो लोग अगले दिन उसने मिलने का उनसे पूछने का घेराव करने का इस तरह का कार्यकम बना था तो उसको रोकने के लिए वहॉ पर गोली चली थी कि लोग यहॉ न आ सके ।

Q- तो यह मुक्ति मोर्चा के तरफ से आन्दोलन चल रहा था

Ans- हॉ

Q- उसमें कितने साथी लोग गिरफ्तार हो गये ।

Ans- गिरफ्तार हम लोग करीब १५६ लोग हुये थे लेकिन पहल ही गिरफ्तारी मेरी ही हुई थी ।

Q- फिर उसमें क्या हुआ

Ans- उसमें हम जेल में ३ महीने रहे १२ सितम्बर गोली चली १२ सितम्बर को १२ बजे अरेस्ट कर लिये गये । तो दिसम्बर १९८४ तक रहे जेल में जे ले आने के बाद बाकी जख्म तो ठीक हो गये थे हाथ तो मेरा टूटा हुआ ही था पुलिस की मार से हाथ में फैक्चर था तो इलाज के लिए दल्ली राज हरा चले गये शहीद अस्पताल तो वहाँ इलाज के दौरान काफी दिन तक रहे

Q- जब आपके उपर फायरिंग हुई और आपको जेल में ले गये उस वक्त आप लोगों का आन्दोलन कया कर रहा था कोई ऐसा गैर कानूनी काम था जिसकको रोकने के लिए उन्होने फायरिंग की थी किस कारण से फायरिंग हुई थी वहाँ

Ans- लोगों को मोतीपुर से निकलने ही नही दिया जा रहा था और लोग निकलना चाहते थे जूलूस के शक्ल मे तो जूलूस को रोकने के लिए फायरिंग हुई थी वहाँ ।

Q- आप तो जानते है कि कानून में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति इस देश में जूलूस निकाल सकता है । अपनी बात आप कही पर भी रख सकते है । आप किसी से भी कोई भी यूनियन या एसोशिसन बना सकते है । तो यह तो फायरिंग हुई आप पर और जेल में डाल दिया गया इसमें उन्होने आपके उपर क्या जुर्म लगाया

Ans- जुर्म बहुत झूठें लगे थे ११ सितम्बर को जो मील परिसर था और मील मैनेजमैन्ट के जो पालतू लोग रहते थे उनके आपस में कुछ मारपीट हुई थी के उसमें कोई व्यक्ति घायल हुआ था तो उसको मारने का इल्जाम हम लोगों के उपर था ३०७ और ३४१ धारा के अर्न्तगत हम लोग बन्द थे ।

Q- फिर उसके आगं आप कैसे मुक्ति मोर्चा से जुड़ें रहे ।

Ans- फिर जुड़ें रहे ।

Q- फिर आगें क्या नई जिम्मेदारी सम्भाली आपने यहाँ तो अभी आप उरला मे हे राजनाँद गांव से आगें कैसे आये और ऐसे कौन से आन्दोलन थे जिसमें आप जुड़ें रहे ।

Ans- उस समय तारीख याद नही आ रहा है लेकिन जब आडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे और इनको रोका गया था १९९१ में तो उसके पहले तो दल्ली के आस पास हम लोग घूमते थे और संगठन का काम करते थे जब वहाँ नियोगी जी ने देखा कि अब भिलाई आन्दोलन में लोग जुड रहे है तो वहाँ पर हम लोगों को ६ नवम्बर १९९० को उरला भेज दिया ।

Q- मेन मुददे उरला के उधोग क्षेत्र में क्या थे

Ans- वही श्रम कानून का पालन

Q- श्रम कानून जब आप कहते है तो क्या क्या उसमें आते है श्रम कानून तो बहुत व्यापक कैटेगिरी बन जाती है ।

Ans- इसमें निम्नतम वेतन मिलना चाहिए सुरक्षा के साधन होने चाहिए कार्य दशा में स्वच्छता होना चाहिए इस तरह का हाजरी कार्ड मिलना चाहिए ।

Q- ज्यादा काम जो मुक्ति मोर्चा का मजदूर आन्दोलन में रहा है वह ठेका मजदूरों के साथ रहा है कि मरमानेन्ट वर्कर की भी कोई यूनियन वगैरा रहे ।

Ans- ठेकेदार मजदूर

Q- कोई कारण है कि खासकर क्योंकि ज्यादा देखा जाता है कि कई यूनियन परमानेन्ट वर्कर के साथ काम करते है मुक्ति मोर्चा सब यूनियन ठेके मजदूर के साथ ज्यादातर क्यो है ।

Ans- क्योंकि ठेके मजदूरों के उपर ही काफी उनकों ही श्रम कानूनों से वछित किया जाता था उनको बहुत सताया जाता था तो इसलिए ऐसे लोग ही संगठन बनाकर सघर्ष करने के लिए आगें बढते थे

Q- आपने जहाँ पर उरला के जो औधोगिक क्षेत्र है जब भिलाई का पुरा आन्दोलन चला उसमें क्या कोई मेन जो मुददा उठाये है और जो मेन सघर्ष के कोई प्वाइंटस हो वह बताइए । किस कब मोर्चा निकाला हो कैसे संगठित किया पूरे औधोगिक क्षेत्र के मजदूरों को

Ans- नही हम लोगों ने चूकि भिलाई में जब संगठन के काम का शुरूआत हुआ तो भिलाई के जो उधोगपति थे उन्ही उधोगपतियों का अन्य कारखानें उरला में टेढासरा में और कुम्हारी में था तो यहाँ मजदूर जब सगठित हुए यूनियन का गठन किये तो इससे प्रेरित होकर या इसकों देखाकर उरला टेढासरा कुमारी के मजदूर इन उधोग क्षेत्रों के मजदूर भी यूनियन गठित करते गये और मैम्बर बनते गये तो फिर हम लोगों ने सभी भिलाई उरला टेढासरा कुम्हारी ये सभी इलाके के मजदूर चूकि मालिक एक थे

और कम्पनी भी एक थी तो १५ नवम्बर १९९० को हमने बन्द का कॉल किया

Q- तो उसमें कैसा रस्पोन्स रहा

Ans- उसमें १०० प्रतिशत बन्द हुआ

Q- यह भिलाई उरला टेढासरा कुम्हारी पुरा एरिया

Ans- हॉ

Q- तो बन्द के कॉल में मेन डिमान्ड क्या रखी गयी थी

Ans- जीने लायक वेतन दो, हाजरी कार्ड दो सुरक्षा के साधन मुहैया कराओं यह सब

Q- तो इसमें आप लोगों ने जूलूस वगैरा निकाला तो है पूरा आन्दोलन करना जूलूस करना बन्द करना उसमें जब आप लागों ने यह जूलूस निकाला उसके बाद आपके बहुत से मैम्बर काम से निकाल दिये जूलूस में भाग लेने के कारण

Ans- नये यूनियन गठन करने के कारण

Q- फिर आप लोगे ने और क्या क्या प्रकियाए शुरू कि और क्या क्या रास्ता अपनाया एक तो सदैव की लडाई को जारी रखा और क्या किया

Ans- हम लोगों ने चूकि पूरा इलाका इन्जीनियरिंग का है लेकिन इन्जीयिरिंग का यूनियन हमारे पास नही था तो पहली बार हम लोगों ने छत्तीसगढ श्रमिक संघ के बैनर तले यह सारी मॉगो को उठाया इसी दौरा पूरे इलाके के लिए यह तीन जिलो के लिए इन्जीनियरिंग यूनियन का गठन किया प्रतिशील इन्जीनियरिंग श्रमिक संघ और उसका रजिस्ट्रेशन भी हमने करवाया और जिन मुददों

को श्रमिक संघ के माध्यम से उठाया गया था उसी को इसके माध्यम से उठाया गया तो यहाँ पर एक ही ALC हुआ करते थे उस समय रायपुर राजनाँद गांव महासमुध धमतरी यह जो जिले है इन सबके लिए ALC एक ही होते थे और वह रायपुर में बैठते थे तो उन्होंने हमारे इस इस डिमान्ड लेटर देने के बाद सुलह कार्य आयेजित किये हम लोगों की उपस्थिति के हर सुलहवार्ता में होही रही मालिकों की तरफ से कोई खास रूचि नही ली गयी ।

Q- तो यह जो पूरा सिस्टम है आपकों कैसिलिशियन में आप जाइए आप पहले कोशिश कीजिए जो भी डिस्प्युट है उसकों आप रिजोलव कीजिए क्या तरीका है । एनसोर करने का कि दूसरा पक्ष आकर बात करने के लिए बैठें इसके लिए कोई तरीका था उपाय है ALC के पास जैसे ALC ने कॉल किया दोनों पार्टी को मीटिंग के लिए कि हम देखते है कि कैसिलिशियन होता है कि नही आप तो पहुच गयें दूसरे साईड का रिप्रेन्जन्टेटिव आाये नही आया अगर वही नही आये तो क्या ALC के पास कोई Power है कि वह उसकों बुलवा सकता है ।

Ans- बुलवा तो नही सकता लेकिन कोर्ट को रैफर कर देगा

Q- और इसकी कोई टाईम लिमिट नही है कि वह कितनी देर बाद सोचें मेरी कैसीलेशियन फेल हो गयी ।

Ans- टाईम लिमिट तो है ३० दिन का

Q- मगर आपकों लोगों का निगाशिएशन बहुत देर तक चला

Ans- वह इसलिए चला क्योंकि हमने अपना चार्टर आफ डिमाण्ड विधिवत प्रस्तुत नही किया था

Q- क्यो विधिवत प्रस्तुत नही किया

Ans- वह इसलिए कि विधिवत प्रस्तुत कर देने से फिर हम जो एक मतलब हम जो एक श्रम कानून का उल्लधंन भरा रास्ता उसमें धकेल दिये जाते ।

Q- तो यह मुक्ति मोर्चा ने जान बूझकर आप लोगों ने स्ट्रचरी अपनाई थी यह कोई भूल तो नही यह तो जान बूझ कर किया गया

Ans- जी

Q- इसके पीछें क्या सोच रहे थे

Ans- इसके पीछें सोच यह रही थी कि कानून न्याय व्यवस्था वह बहुत लिंगर ऑन करने का रास्ता है और इसके मजदूरों का जो प्रदर्शन व सघर्ष है उससे जल्दी हासिल किया जा सकता है यह चिन्ता निहित थी उसमें ।

Q- तो आप लोगों ने जब पेश किया और अन्दाजन कितनी मीटिंग में आप लोग ALC किये गये होगें आपकी यूनियन के रिप्रजेटेटिव

Ans- नियोगी जी के साथ ५ में तो हम लोग गये । ५ बैठकों में १९९१ से पहले १३ सितम्बर के बाद से नम्वबर दिसम्बर तक उसके बाद भी जाते रहे और मामला हमकों जाकर लेबर डिपार्टमेन्ट की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि आप लोग विधिवत चार्टर आफ डिमांन्ड पेश नही किये है लेकिन चूकि यहाँ पर एक सघर्ष था एक आन्दोलन था जो समय समय पर कानून व्यवस्था का भी सवाल बन जाता था इसलिए बैठक तो आयोजित होती रही है ।

Q- ALC में जो बैठक होती थी उसमें मैनेजमैन्ट वाले कभी नही आये या कभी कभी आते थे और खुद मालिक लोग आते थे कि अपना कोई रिप्जेंटेटिव भेजते थे कैसा रहता था ।

Ans- नही नियोगी जी के समय में तो नही आये उसके बाद जरूर आये परन्तु शुरूआत में तो उनके ही प्रतिनिधि आते थे कोई भी नियोजक पहले नही आये है । बाद में ही आये है ।

Q- इतनी मीटिंग में मालिक लोग कभी खुद आया ALC की मीटिंग में

Ans- हाँ इस आन्दोलन के दौरान आये है लेकिन उस समय नही आये है । हाँ १९९१ के बाद आये है ।

Q- जब वहाँ बातचीत होती थी तो इम्पोरटेन्ट डिसक्सन कभी हुयी कोई भी इश्यू पर कभी बात नही बढी क्या ।

Ans- नही उसमें बाद में जब हमकों चार्टर आफ डिमाण्ड व बाद में व्यापक भी हो गया जैसे शुरू में तो लोग निकाले नही गये थे तब वह वाला हिस्सा थोडा कमजोर था बाद में वही बहुत बडा हो गया तो जितने दूसरे मुददें थे उसके उपर तो ALC और लेबर डिपार्टमैन्ट का यही कहना था कि पहले बात मुददा नही है इस मायने में क्योकि यह तो बाध्यता है । नियोजकों को पूरा करने का जैसे हाजरी कार्ड देना, पेय स्लिप देना पीएफ काटना साईकिल एलाउन्स देना तो यह आप मांग भी नही रखोगें ।

Q- तो इसकों किस तरह उठाया जा सकता है ।

Ans- नही यह तो सरकार के लेवर डिपार्टमेन्ट का फलीयर है यह ALC का कहना था इसकों तो हम करायेगें आपका बडा इश्यू जो है वह यह है कि लोगों को लिया जाना और लोगों को लिये जाने से

भी बडा इश्यू यह था कि एक स्वतन्त यूनियन छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा से सम्बंध यूनियन से बात ही नही करना है ।

Q- उस वक्त और भी कोई यूनियन थी उधर

Ans- हॉ एटेक की यूनियन थी

Q- उनके साथ बातचीत अगर उनका कोई मसला उठता था एएलसी पर आता था तो मैनेजमैन्ट उनसे बात करती थी ।

Ans- एएलसी के पास आता था कि नही आता थाा यह तो कभी उस तरफ से नही हुआ लेकिन वह समझौता अखबारों मे आता था कि मालिक और एटेक यूनियन के बीच समझौता हो गया इन बिन्दुओं पर और कई बार ऐसा होता था कि जिन बिन्दुओं के लिए हम सघर्ष कर रहे है उन बिन्दुओं पर समझौता हो जाता था मगर हमारी यूनियन से खासकर बात नही करते थे और ऐसा भी नही कि उस यूनियन से बात हो जाने पर हमारें लोगों को भी हमारे कार्यरत लोगों को भी वह लाभ मिले वहॉ पर । वह यह भेदभाव कर देते थे कि वह सिर्फ उस यूनियन के वर्कर को मिलेगा जबकि कानूनन ऐसा चीज नही है । अगर कोई लाभ है तो वह सब इम्पोर्ट को मिलेगा तो इसलिए भी हम लोगों का आन्दोलन और भी जुझारू होता गया और मजबूत होता गया ।

Q- १ जुलाई १९९२ को गोली काण्ड हुआ उससे पहले एक काफी एक बडी भूमिका रही आन्दोलन की । उसमें आप लोग क्या बात उठा रहे थे और १ जुलाई के एक दम पहले क्या क्या हुआ था ।

Ans- १ जुलाई के एक दम पहले ३० जून को इसके पहले ३० जून से पहले भी बैठकों का कई दौर चला और उसमें बाकी जो मुददे थे

वह इस तरह से नही थे बस हमारे साथ बात करना और समझौता पेपर पर साईन करना था लेकिन जो काम से वछिंत लोगों को काम लिया जाने का सवाल था उसके उपर उनका हमेशा एक दुलमुल सा व्यवहार रहता था । लेकिन ३० जून को यह भी तय हुआ था कि इतने लोग है सिम्पैलक्स से इतने लोग है केडिया डिस्टलरी और छत्तीसगढ डिस्टलरी के इतने लोग है वीके ग्रुप से इतने लोग है बीसी ग्रुप से इतने लोग है भिलाई वायरस से इतने लोग है तो इसको कैसे कौन सी मोडिलिटी बनाई जाये जिससे इन लोगों को फिर से एक मोडिलिट किया जाये ।

Q- किन किन कम्पनियों के साथ यह बात चल रही थी ।

Ans- पाचों सिम्पलैक्स, केडिया, वीके, बीसी, भिलाई वायरस

Q- तो जब उन लोगों ने बात नही मानी और नगोशिऐसन पर कोई हल मिल रहा था तो आप लोगों ने फिर क्या किया ।

Ans- नही ३० जून तक तो यह स्थिति थी कि हम लोग एक फार्मूला बनाये थे कि इस फार्मूले के अर्न्तगत वापसी होगी और इस फार्मले का एक तरह से शुरूआत करने के लिए जो ३० जून की बैठक मुकर्र थी उसमें भिलाई वायरस के साथ हमको बात करनी थी और बात करके उसकों एक तरह से एप्रू करना था लेकिन उसके पहले के बैठक के विपरित उस दिन भिलाई वायरस में एएलसी के समक्ष आचरण किया जैसे ३० जून से पहले जो तय हुये थे २७, २८ जून को या मई महीने में क्योकि २५ मई से हम लोग कारवॉ की तरफ चल रहे थे पूरे इन्डस्ट्रीयल एरिया में

पडाव के रूप में इसलिए २५ मई के बाद में बहुत सारी बैठकें हुयी है तो उसमें यह हो गया था कि एक नमूना हम लोग तैयार कर लिये थे । कि ऐसा ऐसा करना है और भिलाई वायरस से उसकी शुरूआत करना था

Q- थोडा सा वह फॉमूर्ला बता सकते है ।

Ans- अभी वह पेपर और मोडिलिटी आ जायेगा और अच्छें से बता देगा । मै लेकिन मोटें तौर पर यही था कि इतने लोग है जैसे कि १६७ लोग भिलाई वायरस से थें और ६६ लोग उरला से उसी गुप से थे भिलाई वायरस से तो १६७ में से इनको किस तरह लेना है कितना चरण इसकों बनाया जायेगा । कितने चरणों में लिया जाना है तो उसमें यह था कि एक या दो में । एक मे मंजूर नहीं थे । एम्पालयर तो दो में से होगा । जरूरत पडने पर तीसरा भी होगा । लेकिन पहले चरण पहले फेस का जो सख्या होगा वह इतना होगा कि इस तरह का कुछ था । ३० जून को इसकों करने का ३० जून को ठीक इसके विपरीत किसी भी तरह की मोडिलिटी को मंजूर ही नहीं किये । भिलाई वायरस ने ।

Q- क्या बोला उसने

Ans- नही हमारे लिए सम्भव नही है । अभी मार्केट की मन्दी है ओर उसके पीछें मार्किट मन्दी तो था ही पर मूल बात यह था कि ऐसी यूनियन जो बहुत जुझारू है उस यूनियन को एक मान्यता देना जगह देना उसके साथ साईन करना उसको एफाईट करना मुख्य रूप से था ।

Q- भिलाई वायरस के मालिक कौन थे

पडाव के रूप में इसलिए २५ मई के बाद में बहुत सारी बैठकें हुयी है तो उसमें यह हो गया था कि एक नमूना हम लोग तैयार कर लिये थे । कि ऐसा ऐसा करना है और भिलाई वायरस से उसकी शुरूआत करना था

Q- थोडा सा वह फॉमूर्ला बता सकते है ।

Ans- अभी वह पेपर और मोडिलिटी आ जायेगा और अच्छें से बता देगा । मै लेकिन मोटें तौर पर यही था कि इतने लोग है जैसे कि १६७ लोग भिलाई वायरस से थे और ६६ लोग उरला से उसी गुप से थे भिलाई वायरस से तो १६७ में से इनको किस तरह लेना है कितना चरण इसकों बनाया जायेगा । कितने चरणों में लिया जाना है तो उसमें यह था कि एक या दो में । एक मे मंजूर नही थे । एम्पालयर तो दो में से होगा । जरूरत पडने पर तीसरा भी होगा । लेकिन पहले चरण पहले फेस का जो सख्या होगा वह इतना होगा कि इस तरह का कुछ था । ३० जून को इसकों करने का ३० जून को ठीक इसके विपरीत किसी भी तरह की मोडिलिटी को मंजूर ही नही किये । भिलाई वायरस ने ।

Q- क्या बोला उसने

Ans- नही हमारे लिए सम्भंव नही है । अभी मार्केट की मन्दी है ओर उसके पीछें मार्किट मन्दी तो था ही पर मूल बात यह था कि ऐसी यूनियन जो बहुत जुझारू है उस यूनियन को एक मान्यता देना जगह देना उसके साथ साईन करना उसको एफाईट करना मुख्य रूप से था ।

Q- भिलाई वायरस के मालिक कौन थे

Ans- हरी खोतावत

Q- और वह भिलाई इन्डस्ट्रील ऐसोशियसन के मैम्बर भी थे जिसमें बी.आर. जैन प्रेसीडेन्ट थे ।

Ans- जी हॉ

Q- जब नेगोशिएसन चलती थी तो मैनेजमैन्ट अलग अलग कम्पनी की आ रही है मगर क्या उनकी तरफ से भी कोई कॉमन स्टेचरी होती थी कि क्या मंजूरी होनी है नही होनी है आप लोग जब उनसे नगोसेट करते थे तो आपके हिसाब से वह लोगों की कोई कॉमन सोच थी

Ans- नही उनमें बिल्कुल समान समझदारी थी और उस समान समझदारी और उस समान समझदारी के हिसाब से ही वह आचरण एएलसी के सामने करते थे । ए.एल.सी के द्वारा मीटिगं आयोजित की जाती थी लेकिन उसमें बहुत हायर आफिसर लोग बैठते थे मतलब टैक्नीकली एएलसी ही मीटिंग बुलाती थी लेकिन बैठने के लिए लेवर कमिश्न मध्यप्रदेश होते थे । तीनों कलेक्टर तीनों एसपी सब बैठते थे और डिविजनल के कमिश्नर वहॉ बैठते थे तो ३० जून को भिलाई वायरस के साथ ाि लेकिन आये सब लोग थे अगले कमरें मे था और दूसरी जगह पर यह था तो भिलाई वायरस का मुकरना वह काम भिलाई वायरस का मुकरना नही था वह पूरे एसोशिएसन का मुकरना था ।

Q- यह बताओं जैसे आपने कहा वहॉ पर कलेक्टर एसपी सब बैठें है तो इतने दिन से नेगोशिएसन चल रहा है एक फॉमूर्ला एक्सपैट हो रहा उन्होनें भी एक्सपैट किया और आप लोगों ने

फैलक्सीबिल्टी दिखाई की ठीक है के एक बारी में नही दो बारी में ले लों उसमें एक दम से मुकर जाना तो वहाँ पर जो कलेक्टर एसपी बैठा लेबर कमिश्नर बैठा है क्या वह उनकों कुछ रिएक्ट करते थे कि आप इतने दिनों से हम सब मिलकर इस फॉमूले तक पहुचे है । आप एक दम से मुकर जायेगे तो सबकी मेहनत पर ऐसे थोडें न पीछें हट जायेगें । तो क्या उनके उपर कोई दबाव प्रशासन की तरफ से यहाँ लेबर कमिश्नर के दफतर की तरफ से कोई दबाव डालता था उनके उपर

Ans- नही दबाव होता था प्रसाशनिक अधिकारियों का पर उसकी सीमा बहुत सीमित थी और उससे लगता है कि जो पूरा लेबर लॉ है वही उनकों इतना ताकत नही देता था कि वह लोग दबा सके कि हम आज नही कर रहे है उनके लिए मना करना बहुत तकनीकि चीज होता था लेकिन उसका व्यवाहरिक स्वरूप तो बहुत बडा होता था अब आज नही आज हमारे एमडी साहब नही है या हम इस फार्मूलें के उपर फिर विचार करेगें । मतलब इन्कार हम बात ही नही करेगें मतलब उनके दिल में था कि इस यूनियन से बात ही नही करेगें लेकिन आचरण मे था कि नही हमारे एमडी साहब नही थे । हम इस फामूलें के उपर और सोचेगें । इस तरह का बिल्कुल बात नही करेगें यह सावधिक रूप से कभी होता नही था

Q- मगर यह समझ में आपके भी आ रहा था और एसपी कलेक्टर के भी एलसी के भी जैसे अगर कोर्ट में इस तरह अगर कोई बार बार

Ans- नही उसमें एक बात और भी हुआ जब हम कोई भी नमूना जो बना था वह सिर्फ यूनियन या मालिक का नमूना नही था उन्होने दिया हमने उसके उपर कुछ उसको सशोधन किया और मान्य स्थिति में पहुचे थे जब मान्य स्थिति में पहुचने के बाद भिलाई वायरस जो कि उन उधोपतियों में से एक थे उन्होने जब नामन्जूर किया तो दो तरफ से बोलने वाले नमूने के उपर एक फिर से मोडीफिकेशन हुआ । एडमीनिसट्रेशन की तरफ से उसकों भी अमान्य किया गया । पहली बात पहला मॉडल जो आ रहा था वह भी किसी एक के पक्ष का नही था और जाहिर है कि उसमें यूनियन को बहुत त्याग का स्वरूप देना था त्याग दिखाना था उसके बावजूद जब उसके उपर अमान्य हुआ तो एक डेढ घन्टे की चर्चा के बाद में एक तीसरा नमूना आया था जिसमें भी हम लोग सोच कर थोडा बोले थे ठीक है इसके उपर भी बढा जा सकता है लेकिन उसकों भी अमान्य किया गया और एक तरह से अभिलेख में रिकार्डिट है ।

Q- जब कोर्ट मे कोई बार बार इस तरह की अजीबो गरीब हरकत करे कि टालामटोल करे कि जज लोग की बार गुस्सें में आकर मालिक पक्ष को भी कई बार खीचा जाता है क्या एएलसी के यहाँ कभी इस तरह का दबाव । इस तरह का प्रेशर मैनेजमैनट पर डाल सके एएलसी का दफतर ।

Ans- नही बहुत कारगर तरीके से तो कभी नही हुआ ।

Q- क्या आपकों यह पूरा कन्सीलियेशन का पोसोजिर है लॉ में आप लोगों के जो अनुभव है आप को क्या लगता है कि यह मजदूर

पक्ष के लिए कही पर सुविधा देता है । लाभदायक है आन्दोलन में बातचीत को आगे बढाने के लिए निगोशिएशन करने के लिए क्योकि एक इन्फोरमल है तो कोर्ट में उस तरह का फॉरमलटी नही जाना पडता बात कर सकते है । या कि सिर्फ बात को और लम्बा खीचता है । और एएलसी तो इतनी पावर ही नही है कि वह कुछ हासिल करवा सके आपके अनुभव से एएलसी की पूरी जो इन्होने सिस्टम बैठा रखा है उसकों आप कैसे लायेगे ।

Ans- नही बहुत एएलसी को पूरा जो सिस्टम है उनके दफतर का ही वह किसी मुददें को सुलझाने के लिए बहुत कारगर नही है सिर्फ उसके आधार पर कोई मुददा नही निपटाया जा सकता । जब तक उसमें साईड का चीज और न हो । लोगों का दबाव आन्दोलन का दबाव न हो तब तक सिर्फ उसके उपर नही किया जा सकता ।

Q- ३० जून को आपने कहा उन्होने फाईनली अपनी ही बात से व मुकर कर पीछें हट गये फिर आप लोगों ने क्या कदम उठाये ।

Ans- हम लोगों ने इनके इस तरह के व्यवहार से और विशेषरूप से पूरे सम्भाग का प्रशासन मतलब फेल न हो एक नया प्रस्ताव बनाया उसकों भी जब अमान्य किया गया तो हम लोगों ने फिर अगले दि फिर सुबह ६ बजकर २० मिनट रेल पटरी पर बैठ गये । रेल सत्याग्रह करने के लिए ।

Q- आप लोग जब रेल ट्रेक पर बैठे तो क्या सोच कर बैठे

Ans- हमको यह विश्वास था कि जो पीछें हट रहा है उसको प्रशासन और सरकार जो है कि मनवायेगी लेकिन वह मनवा नही पायी सरकार और प्रसासन दोनों ही बहुत सकीर्णता से देखा पूरे

आन्दोलन को विशेष उस दिन के आन्दोलन को मतलब जैसे हमने उस समय भी बोला था जिन मुददों के उपर बात चीत टूट रही थी उस मुददें को फिर से स्थापित करना जो मौजूदा सरकार के लिए सम्भव था और ऐसा भी नही था तो कम से कम हम लोगों को अरेस्ट तो किया जा सकता था ।

Q- आप लोगों के आन्दोलन का रेल पर बैठने का मकसद सत्याग्रह है कि आप पूरा दबाव डाल रहे है प्रशासन पर सरकार पर कि आप बातचीत शुरू करवायेगें और यह तो हल है निकाले जो औधोगिक विवाद खडा हुआ है आपके सामने उसका असर यह हुआ गोली काण्ड हुई कई साथी शहीद हुए । प्रशासन ने गोली चलाई आपके १७ साथी शहीद हुए पूरा आतंक फेलाया प्रशासन ने जब भी आप लोगों ने अपने आन्दोलन को ज्यादा जुझारू बनाया प्रशासन की तरफ से दमन और बढा कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग जब भी इस तरह का मोड देगें आन्दोलन को तो उसके उपर दमन और होगा तो इसमें से निकलने का क्या रास्ता है । कुछ लोगों का मानना है कि आप जब भी इस तरह से बिल्कुल सीधा टक्कर खाने जायेगे तो जब भी आन्दोलन कोई इस तरह करता है तो दमन असल में और बढ जाता है आन्दोलन को उसमें कुछ फायदा नही होता है । तो आन्दोलन के लिए पूरा एएलसी के साथ महीने भर माथापच्ची रही । क्या आन्दोलन के पास कोई और सूरत रहती है ऐसी हालत में ।

Ans- नही उसके जुझारू आन्दोलन में जाना ही है

Q- और यह बताओं कि यह जो पूरा आतंक फेलाया प्रशासन ने उसके बाद आपके साथियों को उठाना थोडा सा उसका बता सकते है कि जो पुलिस ने फिर क्या किया गोली चलाने के बाद क्या हुआ ।

Ans- गोली चलाने के बाद जितने मुखिया थे जो आन्दोलन में सकिय थे अगवाह के रूप में वह सारे लोगों को चुन चुन कर अरेस्ट किया और लम्बें समय तक के लिए जेल में रखा दिया

Q- लम्बें समय माने कितने समय

Ans- हम लोग तो दो दो साल रहे ।

Q- तो आपकी जमानत नही हुई

Ans- जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट से

Q- यहाँ पर जमानत रदद कर दी गयी

Ans- जी हाँ यहाँ पर तो उधोगपतियों का प्रभाव था न्यायपालिका के उपर तो किसी भी जमानत मन्जूर नही होने दिया

Q- और जो १७ साथी शहीद हुए उसमे किसी पुलिस वाले के उपर कोई इन्क्वारी /एक्शन

Ans- किसी के उपर नही बल्कि हमने एक शिकायत लिखित में भी दिया एसपी को कि हमारे लोग मरे है और मारने वाली पुलिस है उनके उपर कार्यवाही की जाए उस आवेदन को भी नामजूंर कर दिया

Q- आप लोगों को किस जुर्म के आधार पर दो दो साल अन्दर रखा

Ans- हम लोगों को ३०२/३०७ क्योकि इस आन्दोलन में एक इन्सपेक्टर भी मारा गया था पता नही भीड में उसको किसने

मारा था पर उसका मुकदमा केस हम लोगो के उपर लगा दिया गया ।

Q- उस मुकदमें का फिर क्या हुआ

Ans- अभी चल ही रहा है ।

Q- उसमें कोन कौन मुलजिम बनाये गये है ।

Ans- जितने यूनियन के प्रमुख थे सबको मुलजिम बना दिया गया

Q- जैसे कौन कौन

Ans- इसमें जो यूनियन के अध्यक्ष थे जनक लाल ठाकुर जी है यूनियन के महासचिव है अनूप जी और बाकी साथी लोग मेघदास जी है मै हूँ

Q- इसमें कोई मुआवजा मिला जिनके परिवार के लोग शहीद हुए उनमें किसी को मुआवजा या नौकरी कुछ दिया गया

Ans- जो उन्होने घोषणा कि है उस समय आकर के मुआवजे की उसको लेने में भी हम लोगों को कितना पापड बेलना पडा है । हर मृतक परिवार से एक को नौकरी में रखने का था १७ में से आज भी ४ लोग बचे हुए है । जिनकों आज तक नौकरी में नही रखा गया ।

Q- यह बतओं बीच में एक बडा काण्ड हुआ गोली काण्ड का जो ओधोगिक विवाद था वह तो वही खडा रहा उसकों फिर आगें कैसे बढाया

Ans- नही उसके बाद भी गोली काण्ड के बाद भी जो है कि सघर्ष चलता रहा चूकि इसमें जो है शुरू में ही हमने चार्टर आफ डिमाण्ड नही दिया था इसलिए सरकार के पास मलतब एएलसी के

पास जो है उसकों कुछ करने का एक बहाना था टालते रहना का लेकिन जब आन्दोलन ज्यादा दबाव मे आया तो इन्होने जो है कि १९९३ में इस पूरे प्रकरण के ही रैफर कर दिया इन्डस्ट्रीयल कोर्ट रायपुर में ।

Q- तो वहाँ फिर क्या हुआ

Ans- वहाँ पर चलता रहा

Q- उधर क्या फेसला हुआ

Ans- फेसला तो हम लोगो के फेवर में ही हुआ

Q- क्या फैसला दिया इन्डस्ट्रीय कोर्ट ने

Ans- इन्डस्ट्रीयल कोट ने १९९९ में फसला दिया १६ अक्टूबर को कि इन लोगों के निकाला जाना अवैधानिक था इनकों नही निकाला जाना चाहिए था और इनकों फिर उसी कारखानें में नियोजित करना चाहिए ।

Q- यह पॉचों इन्डस्ट्रीय जो आपने बताई

Ans- जी विशेष परिस्थिति में यह है कि इस केस में इनको निकालने के बाद इतने ही लोगों को काम में लिया जा चुका है विशेष रूप से इन्जीनियररिंग के लिए यह आर्डर हुआ था इन्डस्ट्रीयल कोर्ट से कि फिर से इनको नियोति करना अव्यवहारिक होगा इसलिए इनकों मुआवजा स्वरूप २०-२० हजार रूपयें दे दिये जाऐ महने इस फेसले के खिलाफ हाई कोर्ट में इसको चुनौती दिया हुआ है । और वहाँ पडी हुई है । अभी उसका फेसला नही हुआ है ।

Q- आप लोगों ने उसमें क्या चुनौती दी है।

Ans- उसमें चुनौती यह दिया गया है कि हम अगर काम उसी फक्टरी में करते थे और माननीय औधोगिक न्यायालय ने यह फेसला पर पहुचें है कि काम से हमारा निकाला जाना अवैधानिक होता है तो उसका निष्कर्ष काम मे नियोजित करना ही होना चाहिए । सामान्यतःचूकि इस केस में जो है इतने लोगों को निकालने के बाद मं उतने ही लोगों को रखा लिया गया है । इसलिए इसमें मुआवजा कम है । आदेश पारित करता ह तो यह गलत है यह उनके मर्जी से किसी कानून का स्वरूप नही होना चाहिए इसको हमने चुनौती दिया है । अगर निकाला जाना अवैधानिक है तो उसके निष्कर्ष निराकरण नियोजित करना ही होगा मुआवजा नही

Q- तो क्या कोई मजदूर साथी है उन फक्टरियों के सम्बंध में जो कह रहे है कि चालिए मुआवजा ही मिल जाये अभी

Ans- एक भी नही

Q- जो अभी आपने डाल रखा है वह विलासपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

Ans- जी हॉ

Q- यह वही था जो पहला मुकदमा लगा था

Ans- जी विलासपुर हाईकोर्ट का शुरूआत ही हमारा मुकदमा से हुआ है ।

Q- उसमें आगे सुनवाई बढी ।

Ans- कुछ सुनवाई नही बढी हम लोगों ने एक आवेदन लगाया था हमकों चूकि प्रकरण बहुत लम्बं समय से चल रही है । कम से कम प्रकरण चलने तक हमकों गुजारा भत्ता दिया जाये कम से

कम प्रकरण चलने तक हम जिन्दा रह सके तो माननीय न्यायालय ने जो है ब्याज भुगता करने का निर्देश किया ही नही नियोजकों को लेकिन ब्याज का दर निर्धारित नही करने के कारण २० हजार का ६५-६८ रूपयें होता है हर महीने

Q- यह बताइयें केडिया वाला कि इन्डस्ट्रीय कोर्ट ने क्या फेसला किया

Ans- क्योकि पाँच उधोग का प्रकरण था और करीब ४२० श्रमिक इसमें शामिल है लेकिन कैमीकल के १५५७ लोगों को छोडकर सारे लोग इन्जीनियरिंग के है और १५५७ लोग जो कैमीकल के थे छत्तीसगढ डिस्टलरी कुम्हारी और केडिरा डिस्टलरी भिलाई यह दोनों को मिलाकर एक जग ३८७ है और एक जगह ११५२ लोग है इस तरह से उन दोनों फक्टरी के लोगों के लिए अलग आदेश था वह आदेश यह था इनको निकाला जाना अवैध है । इसलिए इनको रिइस्टेटमैन वीद बैक वेजज ६६ प्रतिशत यह आदेश हुआ था तो उन्होने उसे आदेश के खिलाफ में मालिक गण गये दोनों डिस्टलरियों के तो वहाँ हाईकोर्ट से हम लोगों ने लडा और बताया कि नही जब इस केस को उपर सुनवाई तब ही होगी जब MPIR ACT 65 की धारा का पालन करते है तभी होगा तो अभी पालन वह रकम हमको मिल राह है ।

Q- कितना मिल रहा है ।

Ans- वह तो पेमेंन्ट ही मिल रहा है हमकों

Q- सब वर्कंकरों को मिल रहा है ।

८

Ans- जी हाँ सूचीबद लोग है सबकों मिल रहा है उस प्रकरण में दो प्रकरण है । एक प्रकरण में ३८७ है औरा एक में ११५२ के करीब

Q- यह जो पूरा लम्बा दौर चला है इन्डस्ट्रीयल कोर्ट में आप गये विलसपुर में आप गये तो कोर्ट में जो माहौल रहता है कोर्ट में जो वकीलगण रहते है आपकी तरफ से और उनकी तरफ से उधोगपतियों की तरफ से कितना वकील खडें होते है थे रायपरु में आपके तरफ से कितने वकील खडें होते है । क्योकि बात तो वहाँ पर आपका पक्ष तो वकील ही रखाता है ।

Ans- हमारे तरफ से तो सिर्फ एक ही वकील खडा होता था और मालिकों की तरफ से एक तो यूनिट वाईज उनके सारे वकील आते थें और बडें बडें वकील आते थे दिल्ली से मुम्बई से नागपुर से हमारे के केस में ऐसे ही मौके हुए है जब सिद्धार्थ शंकर जैसे जो चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल हुआ करते थें वह हमारे खिलाफ में खडें हुए थे ।

Q- विलासपुर के कैसे रहा है आप लोगों का वहाँ किस तरह से आपकों वकील मिले है नही मिले है अपनी तरफ से या इन्दौर में उससे पहले ।

Ans- नही वैसे भी मजदूरों की तरफ से वकील वही पर विलासपुर हो इन्दौर हो या जबलपुर हो गिने चूने वकील ही है ओर हमारे केस में चूकि सीधा बडें मालिकों से जुडा हुआ है इसलिए यह मालिक इतने बडें हे कि किसी भी वकील को प्रभावति करन लेते है एक तो अच्छा वकील मजदूरों और उसमें ईमानदार बडी मुश्किल से

मिलता है । हमको दोनों तीनों जगह मुश्किल से एक ही वकील मिले है और कही बार तो वही वकील को हम तीनों चारों जगह लेकर भी गये हे ।

Q- जो कोर्ट का जज का रवैया रहता है आप लोगों की बात सुनने में या आपके वकील की बात सुनने में और उनके वकीलों की उसमें आपको कभी कुछ आपकी उसकी टिप्पणी हो कि कोर्ट कैसे सुनता है । आपके केस को किस समझदारी से लेता है केस को

Ans- बहुत समझदारी से तो नही लेता है लेकिन यह बात सच है कि हमारे पक्ष को कोर्ट के अन्दर वकील रखते है लेकिन हमारे ध्यान में ऐसा नही आ रहा है कि ऐसा कोई भी मौका जिसमें कोर्ट हमारा केस चल रहा है और सिर्फ वकील के भरोसे हम छोदिये है जब भी केस लगा है इन्दौर हो जबलपुर हो बिलासपुर हो या रायपुर हो हम सैकडों की सख्या में हजारों की सख्या म जितने को अन्दर बैठने की जगह मिला अन्दर बैठते है और जितनों को बाहर बैठने को लि बाहर बैठते है । सिर्फ वकील के उपर हमने कभी नही छोडा और यह हम आज बता सकते है कि इसी कारण से एक तो कानन हमारा मुकदमा बहुत मजबूत था और दूसरा लोगो का जो पीटिशन था विशेष रूप से हमारे मैम्बर साथियों का जो सघर्ष में भी लडाई लड रहे है मजदूर आन्दोलन कर रहे है उन लोगों के दबाव के कारण भी कोर्ट को संझीदा होना पडा है ।

Q- जब कोर्ट कोई ऐसा मामला सुनती है जिसमें १० साल हो गये है १० दिन से ज्यादा से साल हो गये सैकडों की तादाद में वर्कर

बैठें हुये है और यह फेसला कोर्ट ने लेना है जिस पर कहीयों की जिदंगी निर्भर है । तो आप को जब वहाँ पर केस लगे होते है । तो क्या लगता है क्योकि यह कोई एक आदमी की मडर का केस नही है या कोई एक आदमी का मकान का मुकदमा नही है बहुत बहुत से लोगों की जिंदगी इसमें है क्या कोर्ट या जज समझकर उस जो जुडी हुई है उस बात को कोर्ट जज समझकर उस मुकदमा की सुनवाई चलती है या उसकों अहमियत मिलती है या उतना टाईम मिलता है उसकी बहस के लिए आपकों अपना अनुभव कोर्ट में कैसा रहा ।

Ans- हमारा केस जितना गंभीर है और जितने लोगों की जिदंगी इसमें जुडी हुई है उस अनुपात में तो आज तक टाईम नही मिला है यह दीगर मसला है कि आज तक न्यायालय ही ने हम लोगों के खिलाफ नही लिखा है यह दीगर बात है लेकिन टाइम इस केस को मिलना चाहिए वह मिलता नही है ।

Q- यह बताओं कि यह जो दूसरा मुकदमा चला पूरा नियोगी जी के हत्या काण्ड का उसमें भी आप जाते थे उसकी अदालत में उसके बारे में जबलपुर चला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वहाँ पर दुर्ग की अदालत में आपकों कैसा अनुभव हुआ कोर्ट में आपकी उसमें गवाही थी ।

Ans- नही

Q- तो वहाँ पर जो पूरा माहौल था कोर्ट में मुकदमा जो सुना जाता था आपकों उसमें क्या लगा ।

Ans- शुरू में यही लगता था यही लगता था कि बस यह कोर्ट भी नहसे प्रभावित है और इन्ही मालिकों के हिसाब से चल रहा है लेकिन हम लोगों का दबाब और देश भर के लोगों का ध्यान इस केस के उपर लगा था क्योकि नियोगी जी के हत्या का मुकदमा कोई छोटा भी नही था तो इस कारण से अन्ततः उसकों प्रसीक्यूशन करना ही है और फिर उसमें सालों लगेगें और उसमके निश्चित तोर पर लेबर इन्सपेक्टर का इशारा लिक होना छोड गया होगा जिसकों स्थापित करना मुश्किल होता है जबकि जितने भी श्रम निरक्षक है वह तो मालिक गणों से सब बधें हुए है ।

Q- जैसे यह मिनिमय वेजस की बात है या बोनस की बात है यह सबके रजिस्टर वगैरा होने होते है इनकों अपने आप जाकर इन्पेशसन करनी तो कोई यहाँ पर लेबर इन्सपेक्टर का कोई सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है औधोगिक क्षेत्र में की आपके हिसाब से यह बिल्कुल मशीनरी काम नही कर रही ।

Ans- नही मशीनरी है वह तो फैक्टरी अर्न्तगत सारे श्रम निरीक्षक कभी किसी भी कारखानें में जाकर निरिक्षण कर सकते है वेजस और साफ सफाई का सेफटी का काम घन्टों का लेकिन यह सब के बावजूद आप देखिए कि उरला भिलाई में महिलाए रात १० बजे तक काम करती रहती है । जबकि ६ बजे बाद उनकों करना ही नही चाहिए ।

Q- यह जो लेबर इन्सपेक्टर का सिस्टम बनाया हुआ है श्रम कानून का जो एक अंग है क्योकि वही फयोलेशन की रिर्पोट डालेगें यह औधोगि क्षेत्र में काम सकिय रूप से या कम रूप से किसी रूप से

कर पा रहा है या बिल्कुल आपके हिसाब के यह फील्ड सिस्टम हो चुका है ।

Ans- यह सिस्टम तो फेल हो चुके है ।

Q- इस सिस्टम के फेलयर के पीछें क्या क्या कारण रहे होगें ।

Ans- एक दो लेवर इलाका लेवर इलाके की जो सीमाए है वही इसकों फेल कर देती है तो वह निरिक्षण कर भी से पकड भी ले कोई वायलेशन देख भी ले उसके बाद उनको क्या करना है रिपोर्ट करके अपने बडें आफिसर के पास लाना है बडा आफिसर फिर उसमें अपना कलम चलायेगा । टेढा तीरछा जो भी हो उसके बाद वह कोर्ट में जायेगा तो जो उल्लधंन पाता है उसके पास में कोई ऐसा प्रावधान नही है कोई ऐसी शक्ति नही है कि वह वही बात दे सके उसी प्रकिया में जाना पडेगा ।

Q- आपके हिसाब से जो यह पूरा सिस्टम बनाया गया है यह बना ही ऐसा है कि आप किसी को पकड नही सकते किसी के खिलाफ कुछ नही कर सकते है ।

Ans- नही पकड सकते पकड भी लिए मान लो कोई अरसे से कोई मिनिमम वेजस का वाईलेशन कर रहा था किसी फैक्टरी में हुए अपाहिज आदमी से कोई ऐसा काम ने रहे है जो कानूनन उससे नही लिया जाना चाहिए पकड में आ गया स्थल में ही तो उसकों क्या है दण्ड १०० रूपया २०० रूपया तो किसी में २०० रूपयें दण्ड दोगें तो उसके लिए २०० रूपयें देना आसान है ।

Q- यह बताओं कि जो यह मशीनरी चल रही है आपने बताया कि इसमें बहुत सारे नुख्श है आज सरकार अपनी नई नीति में कह

रही है कि श्रम कानून को पूरा बदला है अगर हमारे देश की इकोनोमी को प्रगति करनी है तो जो श्रम कानून का ढाँचा है उसकों लचीला बनाना पडेगा और ठेकेदारी मजूदर हटाना का जो कानून है उसको रदद करना हो और साथ ही द्वितीय श्रम आयोग अपनी कुछ फरमाईशें दी है तो यह जो नया मोड दे रहा है श्रम कानून आपकी इस पर क्या प्रति किया है

Ans- नही लचीला तो द्वितीय श्रम कानून के सिफारिश के बाद में नही बन रहा है बल्कि कई ऐसे कानून तो जो थोडा मदद करते है श्रमिकों को उसको खात्म ही कर रहे है । लचीला तो नही हो रहा । खात्म ही हो रहा है । लचीला तो अभी है लचीला से ज्यादा लचीला तो अभी है अब लचीले के नाम से उसकों खात्म कर रहे है । द्वितीय श्रम आयोग सिफारिश के आधार पर

Q- क्योकि उसमें कह रहे है कि सारे बैनिफिट परामनेंट वर्कर को रगुलर वर्कर को दिये गये है । हम पूरा एक सोशल सिक्यूरिटी नेट बनायेगें जो ठेका मजदूर है इनफोर्मल लेबर है उसके लिए द्वितीय लेबर कमीशन कह रहा है हम आगें बढेगें जो सेग्मेन्ट ऑफ लेबर आज तक इग्नोर किया गया और आप लोगों की यूनियन भी ज्यादातर ऐसे वर्कर के साथ काम करती है तो यह जो पूरा सोशल सिक्यूरिटी आफर दिया जा रहा है इस पर आपका क्या रैपोन्स है ।

Ans- पहले भी जो थोडा सामाजिक सुरक्षा दिये है उसकी स्थिति आप देख लिजिए । PF और ESI ने तो अब बहुत बडा चीज लेकर यह लोग आ रहे है PF ही नही कटता कही पर और कटता है

तो उसको मालूम ही नही होता कि कितना कट रहा है और कब से कट रहा है । मिलेगा कैसे तो यह पूरी तरह फेल होने वाली चीज है ।

Q- एक और जो बडा मुददा उसमें उठाया गया है यूनियन को लेकर कि यूनियन कैसी होगी और कौन सी यूनियन होगी वर्करो की रजिस्टर्ड यूनियन को जो पूरा सिस्टम है उसकों हटा दिया जाये और एक नये तरीके की यूनियन को वहाँ लैजेटस्मीटी लेने की बात है आप को क्या लगता है जो वर्करों की हक की लडाई है क्या उसके हित मे यह काम करेगे । यह जो नया सिस्टम लाया जा रहा है

Ans- बिल्कुल खिलाफ काम करेगा ।

Q- जो यह पूरी कानून के साथ जुडकर एक लडाई हो रही है जो आपने कहा कि हमने कभी भी पूरा एक तरफ नही छोडा दोनों को साथ लेकर गये है जब इसकों पिछलें १० साल के दौर को देखते है भिलाई के सन्दर्भ में तो आपकों क्या लगता है कि जिस तरह से यह लडाई चली है । इसकों कही पर और कोई तरीका था जिसमें अगर कानून के विधिवत आप शुरू में दे देते तो क्या फायदा होता आप लोगों को क्या जल्दी और ज्यादा तेजी से यह सिस्टम कही पर बढाया जा सकता था

Ans- जी नहीं

Q- जो नोटिस था वह सब डिमांड चार्टर अगर आप फॉर्म के हिसाब से देते

Ans- हां दे देते तो वह तो फिर ३० दिन के बाद ही वह लोग बोल देते चूकि मामला जो है मध्यपदेश औधोगिक सम्बध अधिनियम से कवरड है उसमें प्रभावशील है इसलिए आप आजाद है कोर्ट जाईये यह तो उनका जवाब आना था जो बाद में उन्होने रैफर किया हांलाकि कि जो बाद में रैफरेन्स हुआ २६ फरवरी १९९३ को उसके साथ ही हम लोगों ने आपत्ति लगाया कि उसको आज ही बैठकर निपटारा करना चाहिए ३० जून को जो भूल प्रशासन ने किया उसको सुधार ले । बैठ कर निपटा दे क्योकि इस समय जो रैफरेन्स कर रहे है सरकार उसकों हम बिरोध करते है । हमने रैफरेन्स करते समय भी विरोध किया लेकिन एक बार रैफरेन्स हो गया तो बहुत ताकत के साथ में इसकों लडे भी ।

Q- यह बाताओं जो इतनी लम्बी लडाई रही जो मश्किल मजदूर के लिए उसकों झेलना उसमें अपने आन्दोलन के साथ जुडें हुए जो साथी है । उनको आपने अपने साथ कैसे रखा क्योकि जाहिर है उसमें घर चलाने की बच्चों की पढाई खाने पीने तक की समस्या सब के घर में उठी होगी ।

Ans- नही इसमें मजदूर आन्दोलन में जो नियोगी जी का एक अनोठा प्रयोग था कि यूनियन अगर एक जीवन जीवनशील वाली यूनियन को रखाना है तो उसकों आठ घन्टें से निकाल कर २४ घन्टें के दायरे में ले जाना पडेंगा । तो शुरू से ही हम लोगों ने कोशिश किया यह यूनियन जो है कि २४ घन्टें की हो और जो हमारा फक्टरी की लडाई है उसका समय जब खात्म होता है तो हम उसमें व्यवाहरिक रूप से स्वाभाविक रूप ये हम उस २४ घन्टें

की लडाई में शामिल पाते है मतलब एक बार हम यूनियन बाजी फक्टरी के लिए करते है तो हमारे २४ घन्टें के लडाई का हम हिस्सा बन जाते है और उसके कारण ही क्योकि लम्बें हडतालों में फिर वही समस्या आता है पढाई का और जीवन चलाने का तो काफी समय तक तो हम लोगो ने राजहरा के मदद से हडतालियों के बहुत बडें हिस्सें को चलाते रहे । भोजन का इन्तजाम करते रहे । उसके बाद भोजन के बाद और जो दो बडी जरूरत है एक है पढाई और दूसरी चिकित्सा का उसकों हमने आज तक किसी न किसी तरीके से किसी न किसी अनुशासन के तहत चिकित्सा वाला आज भी जारी रखे है और पढाई के लिए स्कूल कापी किताव का इन्तजाम भी हमने हडताली मजदूरों के नाम से एक कोष बना कर जिसमें क्षेत्र और बाहर के कई साथियों के सहयोग से चला रहे थे फण्ड बैक टाईप में तो उसके कारण और तीन बडी जरूरतों के लिए

Q- स्कूल के लिए आपने क्या किया बच्चों की पढाई के लिए

Ans- इसी दौरान हम लोगों ने दो तीन स्कूल भी खोल लिए हमारे पास प्राथमिक शाला हुआ करते थे पहले तो उसकों मिडिल स्कूल किये राजहरा में और जो यहाँ पर भी प्राथमिक शाला का शुरूआत कर दिये उसी दौरान शहीद नगर में और उसके अलावा भी बाकी बच्चें पढ रहे है उसकों कापी किताब की मदद हम आज तक कर रहे है जो हडताली साथी के बच्चें है आज भी कर रहे है तो यह जीवन की तीन बडी जरूरते भोजन शिक्षा और पढाई को बहुत अच्छें तरीके से नही लेकिन एक आवश्यक जरूरत के

हिसाब से करते आ रह है। तो जब तीन बडी चीजो को हल कर लेते है मजदूर तो बाकी चीज ऐसा नही होता है जिसमें उसको कोई कठिनाई हो और लडाई के दोरान लोग छोटे छोटें काम कर भी रहे है ।

Q- चाहे वह न्याय व्यवस्था हो या जो पूरा देश चलाने का विधान सभा और सांसद की व्यवस्था है आप लोगो की समय से यह एक पूजीवाद व्यवस्था है और इसमें मजदूर के हक के लिए जगह नही वह समझ रखते हुए आप चुनाव में लड रहे है कही सीटों से आप इस वक्त भी विधान सभा के चुनाव में लगे हुए है और आपने न्याय प्रणाली की टिप्पणी करते हुए उसमें भी जूझतें है तो आप लोग जब इसको करते है तो उसमें कोई विरोधाभास है उसको किस समझ से आप लोग उसमें घूसते है । जैसे अभी चुनाव के दौर में ।

Ans- नही चुनाव भी जो है हम विरोधाभास को हल करते जाते है । उसका समाना करते है और चुनाव में कोई बदलाव हम नही देते है कि इसमें मजदूर वर्ग के जीवन में यहाँ गरीब लोगें के जीवन में यह चुनाव कोई परिवर्तन ला देगा । इस ख्याल से हम चुनाव नही लडते है हम इसलिए लडते है कि समय ज्यादा लोग चीज ग्रहण करने की स्थिति में होते है तो जो हमारा विचार है उसको हम परोसते है चुनाव के मौके पर जैसे दो बार हम विधायक भी रहे है डोटीलोहरा क्षेत्र से तो वहां भी कोशिश करते है कि संगठन के जो सिद्धान्त है उसके मुताबिक इस मुगालतो को ख्याल करते हुए कि चुनाव से कोई परिवर्तन नही होगा इसको ध्यान में रखकर हम लोग चुनाव में जाते है